कृषि विभाग राजस्थान DOA

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय

क्रमाक प–2(8)(4)(सी–2522)आ0कृ0 / जॉच / 200-358 जयपुर, दिनांकः 26.4.18

परिपत्र

प्रायः यह देखा गया है कि प्रारम्भिक जॉच हेतु नियुक्त जॉच अधिकारी प्रकरण को गंभीरता से नहीं लेते हैं। राजसमन्द जिले के खमनोर पंचायत समिति में आत्मा योजनान्तर्गत कृषि प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण में भ्रष्टाचार एवं गबन की शिकायत पर संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) भीलवाडा से प्रारम्भिक जॉच करवाई गई, परन्तु जॉच रिपोर्ट 4 वर्ष के विलम्ब पश्चात् दिनांक 20.02.18 में कार्मिक के उत्तरदायी होने के निष्कर्ष से इस आयुक्तालय को अवगत करवाया गया। इसी दौरान संबंधित उत्तदरायी पाया गया कार्मिक राज्य सेवा से पहले ही सेवानिवृत हो चुका था, फलतः कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 31.08.2006 अनुसार घटना 4 वर्ष से अधिक पुरानी होने के कारण सेवानिवृत कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। इस प्रकार विलम्ब से जॉच रिपोर्ट / निष्कर्ष प्राप्त होने के कारण उत्तरदायी लोकसेवक पर अनुशासनिक कार्यवाही नहीं की जा सकी।

अतः सभी संबंधितों को व्यादिष्ट किया जाता है कि भविष्य में वे प्रारंभिक जॉच के प्रकरण में जॉच अधिकारी नियुक्त होने पर 15 दिवस में अपनी जॉच रिपोर्ट मय निष्कर्ष आयुक्तालय को भिजवाएंगे।

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त कृषि

क्रमाक प–2(8)(4)(सी–2522)आ0कृ0 / जॉच / 200-358 जयपुर, दिनांकः 26.4.18

प्रतिलिपि सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक उद्यान, राजस्थान, जयपुर।
2. अति. निदेशक कृषि आदान / विस्तार / अनुसंधान / एनएमओओपी / समन्वय, मु0, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक कृषि (वि0) फसल बीमा / योजना / रसायन / गुण नियं. / ज.अ.प्र. / पौ.सं. / आरकेवीवाई मु0, जयपुर।
4. सभी संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) खण्ड
5. सभी उप निदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद्
6. सभी सहायक निदेशक कृषि (वि.) उपजिला
7. ए.सी.पी. मुख्यालय जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. आरक्षी।

(सोमेन्द्र शर्मा)
संयुक्त निदेशक कृषि(प्रशासन)

DNG Office order